तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/273/वि.कार्य/2018–19/526-27. दिनाँक – 25/2/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या ....10..... दिनांक ...25/2/19 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनाँक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)
(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 10

दिनाँक :– 25.02.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त प्राईवेट जमीन पर बने 3000 पब्लिक स्कूल में से कितनों को दिल्ली सरकार द्वारा समय पर फण्ड जारी नहीं किया गया है;	निजी और मान्यता प्राप्त विद्यालय आर.टी.ई. अधिनियम के तहत EWS/DG कोटे में प्रवेश के उपरान्त प्रति छात्र खर्च के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हकदार है। यह क्षतिपूर्ति जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है।
ख)	इसके क्या कारण है;	उपरोक्तानुसार।
ग)	क्या इन स्कूलों द्वारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया है, विस्तृत जानकारी दें;	निजी और मान्यताप्राप्त विद्यालयों को EWS/DG कोटे के अंतर्गत छात्र नामांकन के मद में खर्च राशि का भुगतान जिला शिक्षा स्तर पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक, लेखन सामग्री व वर्दी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कुछ विद्यालयों में यह सामग्री उपलब्ध न करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई है जिन पर समुचित कार्यवाही भी की गई है।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि इन विद्यालयों को समय पर फंड जारी न होने के कारण इनमें पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्लयूएस), वंचित श्रेणियों (डिस्एडवांटेज ग्रुप्स), जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थी समय पर पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि समय पर मिलने से वंचित रह जाते हैं; और	प्रत्येक निजी मान्यता (गैर–सहायता) प्राप्त विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.आई. एक्ट, 2009) के नियम 8 के अनुसार प्रत्येक सत्र में पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दी आदि उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। किन्हीं परिस्थितियों में फण्ड उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब को आधार बनाकर विद्यालय के विद्यार्थियों को पठन–पाठन सामग्री, वर्दी आदि के वितरण से वंचित नहीं किया जा सकता।
ड़)	यदि हाँ, तो शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत इन विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा एवं शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाने की ओर सरकार की क्या नीति हैं?	उपरोक्तानुसार।

(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner